



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 भाद्र 1943 (श0)

(सं0 पटना 747) पटना, मंगलवार, 31 अगस्त 2021

सं० पि0व0/पो0मै0छा0-36-02/2020-1385

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

संकल्प

25 अगस्त 2021

**विषय :-** वर्तमान में संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना से अनाच्छादित रू0 2.50 लाख से अधिक एवं रू0 3.00 लाख (रू0 तीन लाख) मात्र तक की वार्षिक आय अधिसीमा के तहत अर्हता रखने वाले पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 से "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना" की स्वीकृति एवं योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने की स्वीकृति।

राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर देश के अन्दर प्रवेशिकोत्तर कक्षा में अध्ययनरत् पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के प्रतिभावान् छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए राज्य योजना एवं केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना संचालित है। इस योजना के तहत विधिवत् मान्यता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की स्वीकृति दी जाती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाती है।

2. अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अधिकतम छात्र/छात्राओं को लाभ पहुँचाने हेतु वर्तमान में विभागीय संकल्प संख्या-321 दिनांक-05.02.2019 के आलोक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के अनुसार विभागीय संकल्प संख्या-590 दिनांक-27.03.2017 एवं 844 दिनांक-11.04.2018 द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर निर्धारित दर पर अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है।

3. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-12013/03/2020-BC-1 दिनांक-17.07.2020 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्तमान में निर्धारित अधिकतम पारिवारिक वार्षिक आय अधिसीमा रू0 1.50 लाख (रू0 एक लाख पचास हजार) मात्र को बढ़ाकर रू0 2.50 लाख (रू0 दो लाख पचास हजार) मात्र वार्षिक पुनर्निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई

है। तदनुसार “मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना” से आच्छादित छात्र/छात्राएँ भी इस योजना से लाभान्वित हो जायेंगे। इस प्रकार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना को विस्तारित कर इसके स्थान पर वृहत योजना लाने का प्रस्ताव है, जिसमें पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राएँ शामिल होंगे।

4. राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए संवदेनशील है। वर्तमान में संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना द्वारा निर्धारित रु0 2.5 लाख की अधिसीमा के कारण पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं का एक तबका उच्च शिक्षा हेतु प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लाभ से वंचित रह रहा है, जिसे राज्य सरकार उच्च शिक्षा हेतु लाभान्वित किये जाने पर विचार कर रही है। तदालोक में वार्षिक आय की अधिसीमा जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के मापदंडों में रु0 2.5 लाख निर्धारित है, को विस्तारित करते हुए रु0 2.5 लाख से अधिक एवं रु0 3.00 लाख तक की वार्षिक आय अधिसीमा के अन्तर्गत आनेवाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को इस योजना द्वारा आच्छादित करते हुए छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु शेष मापदंड एवं अर्हताएँ अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अनुरूप की होगी। छात्रवृत्ति दर राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निर्धारित दर के अनुरूप होगी।

5. विभागीय संकल्प संख्या-2565, दिनांक-21.12.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन भी शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा एवं योजना हेतु बजट उपबंध पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा किया जायेगा।

6. योजना के संबंध में निर्धारित दिशा-निर्देश :-

- (i) इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिये।
- (ii) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्रा होनी चाहिये।
- (iii) यह छात्रवृत्ति विधिवत् मान्यता प्राप्त संस्थाओं के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को दी जायेगी।
- (iv) इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति पाने वाले किसी भी छात्र/छात्रा को कोई भी अन्य छात्रवृत्ति अनुमान्य नहीं होगा।
- (v) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र/छात्राओं को लाभ दिया जाना है, जिनके स्वयं की आय सहित माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से अधिकतम वार्षिक आय रु0 2,50,000/-(रु0 दो लाख पचास हजार) मात्र, से अधिक एवं रु0 3,00,000/-(रु0 तीन लाख) मात्र तक होनी चाहिये।
- (vi) छात्रवृत्ति हेतु शेष मापदंड एवं अर्हताएँ अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अनुरूप ही होगी।
- (vii) विभागीय संकल्प संख्या-2565 दिनांक-21.12.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (नवीकरण/नवीन) का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से की जा रही है। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा एवं योजना हेतु बजट उपबंध पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा।

7. उपरोक्त दिशा-निर्देश के अधीन सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार के द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये जाते हैं :-

- (i) वर्तमान में संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना से अनाच्छादित रु0 2.50 लाख से अधिक एवं रु0 3.00 लाख (रु0 तीन लाख) मात्र तक की वार्षिक आय अधिसीमा के तहत अर्हता रखने वाले पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 से “मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना” की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- (ii) मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

8. प्रस्ताव पर दिनांक-16.8.2021 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-09 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

**आदेश:-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,  
पंकज कुमार,  
सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 747-571+1500-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>